प.क्षे.-II/ लोक सूचना/2023/110/ दिनांक : 02.05.2023

सेवा में,
कबिस प्रसाद शाह
ग्राम-गहिलगढ़(पूर्व), पोष्ट-शाहपुर,
तहसील व जिला-सिंगरौली (म.प्र.)– 486886,

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदय,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा दिनांक 06/04/2023 को प्रेषित पत्र, पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय में दिनांक 15/04/2023 को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी (आपके पत्र दिनांक 20.03.2023) से संबंधित जवाब इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हें । आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है:-

श्री कृष्ण कुमार टी. आर. (कार्यपालक निदेशक), अपीलीय अधिकारी,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2
प्लॉट नं.-54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,
वडोदरा – 390 024 (गुजरात).

धन्यवाद सहित,

2/5/2023
(पंकज दलाल)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्नः - यथोपरि,

प्रतिलिपिः -
1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.-II
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-II

श्री कबिस प्रसाद शाह ग्राम-गहिलगढ़ द्वारा दिनांक 15/04/2023 को भेजे गए आरटीआई (संख्या PGCIL/WRTS-II/2023/110) के संदर्भ में मांगी गई जानकारी का बिंदुवार संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार है:-

क्र.	आरटीआई अर्जी	आरटीआई का उत्तर
1	यह कि सीसीटीसी संख्या A4771, टावर स्थल सं. 67/0, ग्राम कोनी पूर्व तहसील-देवसर वर्तमान तहसील-सरई को आपके पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी नोटिस में दिनांक का उल्लेख नहीं है, नोटिस दिनांक की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।	सीसीटीसी संख्या A4771 अत्यधिक पुरानी होने की वजह से जारी करने संबंधी दिनांक की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
2	यह कि ग्राम कोनी, टावर स्थल 67/0, 765 के.वी. लाइन कहाँ से कहाँ गई है, उक्त लाइन में ग्राम कोनी के अतिरिक्त किन किन ग्रामों से होकर गई है, जानकारी उपलब्ध कराई जाये।	उक्त 765 के.वी. पारेषण लाइन पावरग्रिड के विंध्याञ्चल पूलिंगस्टेशन(खमरिया) से पावरग्रिड के सतना उपकेंद्र तक गई है। उक्त लाइन ग्राम कोनी के अतिरिक्त सिंगरौली जिला के खमरिया, परसदेही, ओखरावल, बहेरी , कोयलखूंट, पंडरी, नादो, बेतरिया, वासीबेरदह, आमदण्ड, अमराइखो, धिरौली, गोरा, पोडीडोल, समुद, दुधमनिया, झारा, भरसेड़ा, परसी, बंजारी, करवाही आदि ग्रामों से होकर गई है।
3	यह कि ग्राम कोनी, टावर स्थल संख्या 67/0, जिसमें 765 के.वी. लाइन का निर्माण पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किस वर्ष में किया गया है की जानकारी उपलब्ध कराई जाये।	उक्त 765 के.वी. पारेषण लाइन का निर्माण वर्ष 2011 से 31 मार्च 2015 तक किया गया है।

2/5/2023
(पंकज दलाल)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

सेवा में, दिनांक 20.03.2023

श्रीमान् "लोक सूचना अधिकारी" महोदय,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि0,
प्लाट नं. 54, समा सावली रोड़-बडोदरा, गुजरात-390024

विषयः- सूचना अधिकार अधि0-05 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि हम प्रार्थीगण के द्वारा निम्नांकित जानकारी मांगी जा रही है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

01. यह कि सी.सी.टी.सी. सं. A-4771, टावर स्थल सं. 67/0, ग्राम-कोनी, पूर्व तहसील-देवसर, वर्तमान तहसील-सरई को आपके पावर ग्रिड ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा जारी नोटिस दिनांक का उल्लेख नहीं है, नोटिस दिनांक की जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

02. यह कि ग्राम-कोनी, टावर स्थल सं0 67/0, 765 के.वी. लाईन कहां से कहां गई है, उक्त लाईन में ग्राम-कोनी के अतिरिक्त किन-किन ग्रामों से होकर गई है। जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

03. यह कि ग्राम-कोनी, टावर स्थल सं0-67/0, जिसमें 765 के.वी. लाईन का निर्माण पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, लिमिटेड द्वारा किस वर्ष में किया गया है की जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

04. यह कि हम प्रार्थीगण के द्वारा मांगी गई जानकारी के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, शाखा-विन्ध्यनगर, जिला-सिंगरौली (म0प्र0) को पूर्व में आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2023 पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया था, उप महाप्रबंधक श्री एल.बी. दुबे पावर ग्रिड-विन्ध्यनगर द्वारा

क्रमशः........02 पर

श्री विकास
कृपया-चर्चा करें।

सन्दर्भ क्र0– डब्ल्यू.आर.–2/विन्ध्याचल/5734, दिनांक 24.02.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सूचना अधिकारी, विन्ध्यनगर कार्या0 में नहीं बैठते हैं। पावर ग्रिड के लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रिय मुख्यालय, बड़ोदरा (गुजरात) में बैठते हैं। उनके द्वारा संदर्भित पते पर पुनः श्रीमान् जी से पावर ग्रिड से सम्बन्धित जानकारी मांगी जा रही है।

04. यह कि आवेदन प्रोसेस फीस के रूप में 5X2 नग योग 10/–रू0 का नान्–ज्यूडिसियल स्टाम्प जिसका क्रमांक MP-16AA-432757, MP-16AA-432758 दिनांक 20.03.2023 मूल संलग्न है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय है, कि हम प्रार्थीगण के आवेदन पर विचार कर मांगी गई जानकारी समय–सीमा के अन्दर उपलब्ध करायी जानी की कृपा करें।

संलग्नः–

01. नोटिस की छायाप्रति।
02. स्टाम्प मूल। (2 नग)
03. सन्दर्भ क्र0–डब्ल्यू.आर.–2/विन्ध्याचल/5734, दिनांक 24.02.2023 की छायाप्रति।

पत्राचार का पताः–
कबिस प्रसाद शाह पिता छोटेलाल शाह
व अन्य, निवासी ग्राम–गहिलगढ़ (पूर्व),
पोस्ट–शाहपुर, तहसील एवं
जिला–सिंगरौली (म0प्र0) 486886

प्रार्थीगण

कबिस प्रसाद शाह पिता छोटेलाल शाह
व अन्य, निवासी ग्राम–गहिलगढ़ (पूर्व),
तहसील व जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

((02)

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

वृक्ष(क्षों) की कटाई / काँट / छाँट / फसल(लों) को हटाने के संबंध में

मुआवजा हेतु प्रमाण पत्र

सी.सी.टी.सी. सं. A- 4771

Vindhyachal से Jabalpur तक 765/400/200 केवी लाईन के टावर स्थल सं. 67/0 के पास

1. मैं/हम/श्री/श्रीमती छोटे लाल साहू आत्मज/पत्नी ...... ग्राम ...... तहसील ...... जिला ...... इसके द्वारा कथन और घोषणा करते हैं कि वृक्ष/फसल फील्ड सर्वे नं. ...... ग्राम ...... तालुक ...... जिला ...... में स्थित है जो मेरे/हमारे स्वामित्व की है, काटे गये/क्षतिग्रस्त हुए वृक्ष/फसल के संबंध में वास्तविक हानि का मुआवजा जिसका मूल्यांकन एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/राजस्व विभाग/समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, द्वारा किया जाता है और जो पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा देय है, मुझे/हमें स्वीकार्य है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित वृक्ष/फसल पावरग्रिड के इंजीनियर के आदेश से गिराए/क्षतिग्रस्त किये गए थे, और उनका कब्जा मुझे/हमें सौंपा जा चुका है।
3. काटे गये वृक्ष/काटी/क्षतिग्रस्त कि गई फसल का ब्यौरा निम्नानुसार है--

क्र.सं. (1)	वृक्ष/फसल का/प्रकार (2)	वृक्ष(क्षों) की ऊंचाई व मोटाई/फसल(लों) का ब्यौरा (3)	टिप्पणी (4)
	सरई	2.50 m X 12 m	for foundation work
	महुआ	4.10 m X 22 m	
3	पलाश	2.10 m X 14 m	

4. पुनः यह प्रमाणित कर वचन दिया जाता है कि ऊपर लिखित वृक्ष(क्षों)/फसल(लों) के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति यदि कोई भी दावा करता है तो मैं/हम उसके लिए व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होंगे एवं इस संबंध में यदि पावरग्रिड को कोई हानि होती है तो मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे।
5. यह भी विशेष रुप से घोषित किया जाता है कि ऊपर पैरा -3 में दर्शाए गए/गई वृक्षों/फसलों की हानि/क्षति के अतिरिक्त और किसी मुझे/हमें और कोई हानि या क्षति नही हुई है।

दिनांक

पावर ग्रिड का अनुमोदन

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए और इसकी ओर से

हस्ताक्षर :

नाम : G.K. ......

पदनाम :

दिनांक :

स्वामी के हस्ताक्षर

(Chhote Lal Sahu)

प्रतिलिपि : तहसीलदार एवं एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट ...... आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित स्वामी के, रिकार्ड से ......